

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10103/2758

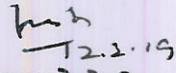
दिनांक :- 13-02-19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री विनोद देवन्दा [लिंक नं. 10103] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर - [1048] जिनकी जन्म तिथि 15/07/1993 है, का दिनांक 23/10/2018 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 23/10/2018 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24/03/2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री विनोद देवन्दा के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

दिनांक :- 13-02-19

क्रमांक :- एफ.4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10103/2758

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
3. कोषाधिकारी जयपुर
4. श्री Gulla Ram Devenda, गाँव- राजावास(मुख्य गाँव), सीकर रोड के पास आमेर, , जयपुर, राजस्थान 302013
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / ए सी आर शाखा


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)